तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी ए/605/2004/चित्तौडगढ **भेरा बनाम लेहरू व अन्य**	

एकल–पीठ
श्री धूकलराम कसवॉ, सदस्य

उपस्थितः–

(1) श्री राजेश गौतम अभिभाषक प्रार्थी

(2) श्री अशोक अग्रवाल अभिभाषक अप्रार्थी

निर्णय दिनांक :

यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 230 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तोडगढ के निर्णय दिनांक 8–9–03 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अप्रार्थी संख्या 1 वादी ने अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 के विरूद्ध एक वाद अधिनियम की धारा 53 के अन्तर्गत वाद पत्र में अंकित आराजी के बाबत उपखण्ड अधिकारी कपासन के न्यायालय में प्रस्तुत किया जो दिनांक 14–2–01 को डिक्री किया गया। जिसके विरूद्ध अप्रार्थी संख्या 3 व4 ने राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ के न्यायालय में अपील पेश की। दौराने अपील प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 जाब्ता दीवानी वास्ते बनाये जाने पक्षकार प्रस्तुत किया जिसे आक्षेपित आदेश के द्वारा निरस्त कर दिया। इससे व्यथित होकर यह निगरानी मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3– उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस निगरानी पर सुनी गई।

4– प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने निगरानी मीमो में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि प्रार्थी वादग्रस्त आराजी का संयुक्त खातेदार काश्तकार है। वादी ने बटवारा हेतु वाद प्रस्तुत किया था जिसमें सभी सहखातेदार आवश्यक पक्षकार होते हैं किन्तु वादी ने बिना प्रार्थी को पक्षकार बनाये दावा डिक्री करवा लिया। इस कारण अपीलीय न्यायालय को प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उसे प्रकरण में

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी ए/605/2004/चित्तौडगढ **भेरा बनाम लेहरू व अन्य**	
	पक्षकार बनाया जाना चाहिये था। इसलिये निगरानी स्वीकार की जाकर आक्षेपित आदेश निरस्त किया जावे एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 जाब्ता दीवानी स्वीकार कर प्रार्थी को प्रकरण में पक्षकार बनाये जाने के आदेश प्रदान किये जावें। 5– जबाब में अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि प्रार्थी ने अपना 1/3 हिस्सा कुछ नम्बरों में से विक्रय किया है एवं विचारण न्यायालय द्वारा इन्ही नम्बरों के सम्बन्ध में प्राथमिक डिक्री जारी की है जिससे प्रार्थी का हक प्रभावित नहीं होता है। इसलिये प्रार्थी प्रकरण में आवश्यक पक्षकार नहीं है। प्रार्थना पत्र सही रूप से खारिज किया गया है। निगरानी खारिज की जावे। 6– हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। 7– इस तथ्य को अप्रार्थी भी स्वीकार करते हैं कि प्रार्थी वादग्रस्त आराजी का संयुक्त खातेदार काश्तकार है। वादी ने बटवारा हेतु वाद प्रस्तुत किया था जिसमें सभी सहखातेदार आवश्यक पक्षकार होते हैं किन्तु वादी ने बिना प्रार्थी को पक्षकार बनाये दावा डिक्री करवा लिया। पत्रावली में उपलब्ध नकल जमाबन्दी के अनुसार छोगा,शंकर, भेरा पिसरान गुलाब वादग्रस्त आराजी के अभिलिखित सहखतोदार काश्तकार हैं। सभी सहखातेदारों को पक्षकार बनाये बिना बटवारे का वाद चलने योग्य नहीं है। जहां तक प्रार्थी द्वारा अपना 1/3 हिस्सा अप्रार्थी संख्या 1 को बेचान किये जाने का प्रश्न है, सहखातेदारी की भूमि में प्रत्येक इन्च इन्च भूमि पर प्रत्येंक सहखातेदार का कब्जा माना जाता है। बिना विधिवत बटवारा कराये कोई भी पक्ष अपना हिस्सा तो बेच सकता है परन्तु विशिष्ट खसरा नम्बरों का बेचान नहीं कर सकता है। इसलिये प्रार्थी प्रकरण में आवश्यक पक्षकार है। 8– उपरोक्त विवेचन के अनुसरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर आक्षेपित आदेश निरस्त किया जाता है। प्रार्थी को प्रकरण में पक्षकार बनाये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। उभय पक्षकारान को राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ के समक्ष दिनांक 10–8–2018को	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी ए/605/2004/चित्तौडगढ **भेरा बनाम लेहरू व अन्य**	
	उपस्थित रहने के लिये पाबन्द किया जाता है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(धूकलराम कसवाँ)** **सदस्य**	